

**पूर्वोत्तर रेलवे
संशोधित अधिसूचना**

अनुदेशक के चयन हेतु कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 13.02.2026 के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था। जिसमें जारी किये जाने की तिथि 13.02.2025 त्रुटिवश अंकित था एवं अन्य लिपिकीय त्रुटियां थी। अतः त्रुटियों के कारण पूर्व में जारी अधिसूचना को रद्द किया जाता है। विभिन्न विभागों के अनुदेशकों के चयन हेतु पुनः निम्नवत संशोधित अधिसूचना जारी किया जाता है :-

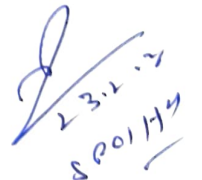
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में निम्नलिखित विभिन्न विभागों के अनुदेशक संवर्ग लेवल-07 के 16 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन (CBT/TBT) के माध्यम कराया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र. सं.	पद एवं लेवल	पदों की संख्या	अर्हताएं
01.	अनुदेशक (यातायात), लेवल-07	08	यातायात कैडर में कार्यरत सुपरवाइजर लेवल-07। अनुपलब्धता की स्थिति में लेवल-06 के कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा।
02.	अनुदेशक/संरक्षा, लेवल-07	02	संरक्षा में कार्यरत सुपरवाइजर लेवल-07। अनुपलब्धता की स्थिति में लेवल-06 के कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा।
03.	अनुदेशक (वाणिज्य), लेवल-07	03	वाणिज्य कैडर में कार्यरत सुपरवाइजर लेवल-07। अनुपलब्धता की स्थिति में लेवल-06 के कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा।
04.	अनुदेशक/पी/आर/साफ्ट स्किल(वाणिज्य) एवं आई.टी. सुपरवाइजर, लेवल-07	01	वाणिज्य कैडर में कार्यरत सुपरवाइजर लेवल-07(पी/आर/साफ्ट स्किल/आई.टी.)। अनुपलब्धता की स्थिति में लेवल-06 के कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा।
05.	अनुदेशक/कैरेज एवं वैगन, लेवल-07	01	कैरेज एवं वैगन कैडर में कार्यरत सीसेई/जेई/समाडी के सुपरवाइजर लेवल-07। अनुपलब्धता की स्थिति में लेवल-06 के कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा।
06.	अनुदेशक/टीआरडी, लेवल-07	01	टीआरडी में कार्यरत सुपरवाइजर लेवल-07। अनुपलब्धता की स्थिति में लेवल-06 के कर्मचारियों पर विचार किया जायेगा।
कुल रिक्ति		16	

नोट:- उपरोक्त पद हेतु आवेदकों को कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान आवश्यक है।

इस चयन हेतु अन्य शर्तें निम्नवत है :-

- अधिसूचना जारी होने की तिथि (23.02.2026) को आवेदक की उपरी (अधिकतम) आयु सीमा 55 वर्ष होनी चाहिए। (RBE 04/2021)
- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों/अनुदेशक के संबंध में समय-समय पर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी कुलिंग ऑफ अवधि के निर्देश लागू होंगे। ऐसे कर्मचारी जो निर्धारित कुलिंग ऑफ अवधि पूर्ण नहीं किए हैं, इस अधिसूचना के सन्दर्भ में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- संबंधित विभाग(Allied Department) में ग्रेड पे 4600 (लेवल-07) के कर्मचारी पात्र हैं। यदि सामान ग्रेड पे में कर्मचारी उपलब्ध न हो, तो ग्रेड पे 4200 (लेवल-06) के कर्मचारियों पर विचार किया जा सकता है। (RBE 79/2019)
- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर०बी०ई० संख्या 97/2019 में दिए गए प्रावधान के अनुसार चयन परीक्षा (CBT/TBT के माध्यम से) 120 मिनट की होगी, जिसमें 110 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिसमें 10 प्रश्न राजभाषा से संबंधित होंगे, राजभाषा के प्रश्न अनिवार्य नहीं होगा। कुल 110 प्रश्नों में से किन्हीं 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जायेंगे।
- RBE No. 79/2019, RBE No.04/2020, RBE No.39/2020 एवं रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-E(NG)-I-2024/PM-I/13/E-3473420 दिनांक 27.11.2025 के अनुसार चयन परीक्षा (CBT/TBT) 75 अंक की होगी एवं कक्षा व्याख्यान परीक्षण 25 अंक इस प्रकार कुल अधिकतम अंक 100 होगी। CBT/TBT परीक्षा में उत्तीर्ण (न्यूनतम अर्हता 60% अंक) आवेदकों को कक्षा व्याख्यान परीक्षण (25 अंक) के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम पैनल का गठन उन उम्मीदवारों में से किया जायेगा, जिन्होंने CBT/TBT (व्यसायिक योग्यता) परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक और कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने पर मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- अधिसूचित पद एक्स कैडर पद है तथा इस पद का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होगा। चयनित कर्मचारी का लियन एवं बरीयता पैतृक कैडर में बरकरार रहेगी। कार्यकाल समाप्ति पर चयनित कर्मचारी को मूल कैडर में वापस कर दिया जाएगा। (RBE 04/2021)
- चयनित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व कैडर में वापस कर दिया जाएगा।
- चयनित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भत्ता रेलवे बोर्ड के नियमानुसार देय होगा।
- चयनित कर्मचारियों को उनके पद पर कार्य के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन न होने स्थिति में अधिकतम कार्यकाल की सीमा पूर्ण होने से पूर्व कभी भी उनके मूल लियन/कैडर में वापस कर दिया जाएगा।


23.2.26
SP01/Hy

--02--

10. कर्मचारी इसे CBT/TBT परीक्षा की तैयारी की सूचना समझें।
11. आईआरईएम का कोई अन्य प्रावधान या रेलवे बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर कैडर पद पर चयन के नियम और शर्तों/लागू होंगी एवं अन्य शर्तों के संबंध में हालांकि इस अधिसूचना में अनजाने में छूट गये हों उन्हें वैध और सक्रिय माना जायेगा।
12. पात्र कर्मचारी अपना आवेदन पत्र संलग्नक प्रोफ़ोर्मा में भरकर अपने नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित कराकर अपने कार्यालय/इकाई में जमा करने की अंतिम तिथि 24.03.2026 तक होगी। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा आवेदन पत्र मंडल के कार्मिक विभाग में दिनांक 01.04.2026 तक जमा करें।
13. कार्मिक विभाग केवल पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को दिनांक 08.04.2026 तक संबंधित विभाग के वरिष्ठ मण्डल अधिकारी की सहमति के साथ महाप्रबंधक(कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को भेजें।
14. निर्धारित तिथि के बाद कार्मिक विभाग, मुख्यालय में प्राप्त आवेदन तथा ऐसे आवेदन जो संबंधित नियंत्रक अधिकारी कार्मिक शाखा द्वारा अग्रसारित नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा।
15. सभी नियंत्रक अधिकारियों/पर्यवेक्षकों से अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत लेवल-07 एवं लेवल-06 के कर्मचारियों को इस अधिसूचना को नोट कराये एवं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्नक- आवेदन पत्र का प्रोफ़ोर्मा एवं परीक्षा पाठ्यक्रम :-

वकाधि/मुख्यालय
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक
दिनांक- 23.02.2026

सं० का/254/अनुदेशक/जेड.आर.टी.आई/गाजीपुर छः (COM. NO.- 85781)
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक/परिचालन/पू.उ.रे./गोरखपुर।
2. महाप्रबंधक (सतर्कता), पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
3. वरि० उपमहाप्रबंधक/सामान्य, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. महाप्रबंधक/संरक्षा/ पू.उ.रे./गोरखपुर।
5. महाप्रबंधक/वाणिज्य पू.उ.रे./गोरखपुर।
6. महाप्रबंधक/विद्युत/पू.उ.रे./गोरखपुर।
7. महाप्रबंधक/यांत्रिक/ पू.उ.रे./गोरखपुर।
8. म.रे.प्र./पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर।
9. म.रे.प्र./कार्मिक, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर।
10. मुकाप्र/कार्मिक/यांत्रिक कारखाना/ पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, इज्जतनगर।
11. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर।
12. सचिव/प्रमुपरिप्र, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
13. सचिव/प्रमुवाप्र/पू.उ.रे./गोरखपुर।
14. सचिव/प्रमुयाई/पू.उ.रे./गोरखपुर।
15. मुकार्याधि/गोपनीय अनुभाग/प्रमुकाधि कार्यालय, गोरखपुर।
16. महामंत्री/ मेंस कांग्रेस पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।
17. महामंत्री/ आल इंडिया ओ० बी० सी०, एस० सी०/एस० टी० रेल इम्प्लाईज एसोसिएशन/गोरखपुर।
18. अतिरिक्त प्रति नोटिस बोर्ड।
19. वेबसाइट प्रति (<https://ner.indianrailways.gov.in/>)।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर मे अनुदेशक (यातायात, संरक्षा, वाणिज्य, पी/आर/साफ्ट स्किल(वाणिज्य) एवं आई.टी. सुपरवाइजर , टीआरडी और कैरेज एंड वैगन) लेवल-07 के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र

(सन्दर्भ:- अधिसूचना क्रमांक का/254/अनुदेशक/जेड.आर.टी.आई/गाजीपुर छः, दिनांक- 23.02.2026)

1. नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी) (हिंदी में).....
(अंग्रेजी में).....
2. पिता/पति का नाम.....
3. जन्म तिथि
4. अधिसूचना कि तिथि से आयु - वर्ष..... माह..... दिन.....
5. नियुक्ति तिथि
6. पदनाम एवं लेवल (MACPS को छोड़कर)
7. वेतन दर
8. वर्तमान लेवल(ग्रेड-पे) में प्रवेश की तिथि/पदोन्नति तिथि
9. वर्तमान कार्यस्थल
10. पर्यवेक्षक
11. नियंत्रक अधिकारी
12. भविष्य निधि संख्या/PRAN No.....
13. HRMS ID
14. अनुदेशक के लिए आवेदित पद
15. अनुदेशक के पद पर कार्य करने का विवरण (यदि कोई हो).....
16. शैक्षणिक योग्यता
17. कुलिंग ऑफ अवधि (यदि हो)
18. मोबाइल संख्या-
19. E-MAIL ID-

पासपोर्ट साइज़ का
फोटो जो नियंत्रक
अधिकारी द्वारा
प्रमाणित हो

मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचना / जानकारी सत्य है ।यदि इसमें कोई असत्यता पायी जाती है तो मेरा / मेरे) आवेदन को निरस्त कर दिया जाये ।

दिनांक-
स्थान-

हस्ताक्षर-
कर्मचारी का नाम-
पदनाम-
कार्यालय-

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर-
नाम-
पदनाम-
कार्यालय-

नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित
(अधिकारी का मुहर)

प्रादेशिक

यातायात अनुदेराक, वे०मा० 6500-10500 के पद के लिए पाठ्यक्रम

सिगनल:- सिगनलिंग की महत्ता सिगनलों के प्रकार एवं उनकी कार्य प्रणाली, एल.क्यू., एम.ए.यू., क्यू. एवं एम.ए.सी. एल. सिगनलों एवं उनकी गुणा और दोष, सिगनलों के उपकरण एवं स्टेशनों का विभिन्न वर्गीकरण।

अन्तर्भाशन एवं अलगाव

अन्तर्भाशन की आवश्यकता एवं उद्देश्य।
अन्तर्भाशन के विभिन्न मातृक।

सिगनलिंग एवं अन्तर्भाशन की आधुनिकतम विधि-वेनल, मार्ग प्रशारण केन्द्र व प्रयातायात नियन्त्रण, ए, डब्लू, एस, एस.एस.आई, अलगाव-परिभाषी, अलगाव कैसे प्राप्त होता है एवं उद्देश्य।

कार्य की पद्धति :-
समपार काटक की परिभाषा, विभिन्न प्रकारके काटकों के वर्गीकरण का आधार, समपार काटकों का अन्तर्भाशन एवं सिगनलिंग और कार्य पद्धति।

जो छोड़े वाला मौसम:- गांवियों के क्रासिंग के लिए गाड़ी नियंत्रण एवं स्टेशन मास्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य।

नारी, द्राती एवं कोटर द्राती को चालू हालत में रखना।
यातायात एवं कार्य के लिए कैसे पावर ब्लॉक परमिट की व्यवस्था की जाये। दैगन को उठा उठाना एवं इसका कार्य।

काट नियम:- परिभाषा, स्थीय रेलों पर धाद, छण्ड, सुरक्षा साइडिंग के पावर फ्राइपड्ड वैहिकल को जोड़ना, गाड़ी राउंटिंग एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना।

भारतीय रेलों पर संरक्षा :-
आयुक्त रेल संरक्षा संगठन और कार्य।
चिन्ता कालिका।

व्यक्ति को पहचान हैं सर्वोत्तम संरक्षा का उपाय करना।
ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकना, कारण निवारण के उपाय।
संरक्षा के लिए।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए गये विकसित तरीके।
दुर्घटनाओं के उद्देश्य, जॉब के प्रकार, सुव्यवस्थित होने के लिए जॉब जानना तथा जॉब करते समय विस्तृत प्रक्रिया अपनाया जाना।
खुशी आनंद।

Syllabus for selection of Instructors (Commercial).

General:

- i) History of Indian Railways with special reference to administrative set up at various levels.
- ii) IRCA and its publications.
- iii) Organisation and functions of Commercial department.
- iv) Duties and responsibilities of Commercial officers and Inspectors.
- v) Various provisions of Railway Act-1989.
- vi) Passenger amenities at stations and on trains.
- vii) Complaints Organisation (GRM), New modes of complaints @ suggestions.
- viii) Public Relations.
- ix) Catering Services/Policies.
- x) Implementation of Official Language Act.
- xi) Right to Information Act.
- xii) Consumer Protection Act.
- xiii) Role of commercial staff in Disaster Management.
- xiv) Railway User Consultative Committees.
- xv) Inspection by Officers and Commercial Inspector.
- xvi) Cleanliness- Role of Commercial Department.
- xvii) Information Technology initiatives in Commercial Department.
- xviii) GST and e-bill
- xix) Gender sensitization and Security of women & children.
- xx) Ticket checking.

2. Commercial- Coaching:

- i) Booking of passengers. Travel facilities for MPs. Rules and exchange of various concessions. Military and Police warrants, High official requisitions. Issue of circular journey tickets etc.
- ii) Rules for reservation of berths and seats. Tatkal reservation, E-ticketing and I-ticketing, Upgradation of passengers and feeding of EDR.
- iii) Booking of special coaches and special trains.
- iv) Rules and refund of fares, computerized coaching refunds scheme (CCRS).
- v) Ticket checking organization. Various types of checks conducted by ticket checking staff, collection of penalty from ticketless travellers. Dealing with irregular travellers and unbooked/partially booked luggage. Preparation of EDR by amenity staff.
- vi) General idea about acceptance, booking, carriage and delivery of luggage/parcels.
- vii) Rationalisation of parcel booking, leasing of parcel space.
- viii) Opening and working of Passenger Halt stations.
- ix) Passenger Reservation System (PRS).
- x) Unreserved Ticketing System (UTS), New modes of ticketing- JTBS, STBS, YTSK, ATVMs, Ticketing through Mobile.
- xi) Frauds in ticketing and their prevention.
- xii) Use of POS for Ticketing, Catering, Parking etc.

3. Commercial – Goods:

- i) Acceptance, booking, carriage and delivery of Goods including explosives and other dangerous goods, military traffic and RMC.
- ii) Rules governing the opening and working of siding.
- iii) Levy of Demurrage. Wharfage and stacking charges.
- iv) Procedure for waiver of demurrage and wharfage charges.
- v) Train load and its conditions.
- vi) Marketing and sales organization- various freight incentive schemes and transportation products, wagon leasing schemes, AFTO, SFTO, PFT etc.
- vii) Claims- Prevention and settlement.
- viii) Railway Claims Tribunal and Railway Rates Tribunal.
- ix) FOIS and its Modules.

4. Commercial- Sundries:

- i) General Contract Management (Revenue and Expenditure)
- ii) Commercial Publicity
- iii) Catering
- iv) Parking Contracts
- v) Retiring Rooms
- vi) Water Vending machine
- vii) Bottle crushing machine
- viii) NFR (Non fare Revenue)
- ix) MFC (Multi-functional complex).

5. Accounts:

- i) Classification of earnings
- ii) Station Accounts
- iii) Station Outstanding and its clearance
- iv) Collection and proper remittance and railway cash
- v) Audit paras
- vi) Traffic Survey
- vii) Awarding of contracts
- viii) Withdrawn from station earnings
- ix) Balance sheet
- x) Rail Shakti yojna.

6. Establishment:

- i) Railway Conduct Rules
- ii) Discipline and Appeal rules
- iii) Pass Rules
- iv) HOER
- v) Leave rules.

22/7/15

1. Principles of lay out plants and sectioning diagrams in 25KV AC.
2. Catenaries and Contact wires, droppers and different types of jumpers.
3. Height of contact wire and Head Room clearance.
4. Span, Stagger, Overlaps, Neutral sections and Encumbrance.
5. Regulated, Un regulated OHE & Tram Way OHE.
6. Section insulator Assembly, Cross Over & Turn Outs.
7. Different types of OHE structures and their foundations.
8. TSS, FP, SP, SSP and other equipments in Sub- Station and Switching Stations
9. Power Supply, Duplicate Supply, Voltage regulation.
10. Power Supply for signaling in electrified area.
11. Remote Control Centre (SCADA) and communication facilities in electrified section.
12. Different type of warning and caution boards.
13. Precautions to be taken by staff of other departments during work in electrified sections.
14. ODCs.
15. AT, BT, Isolators and Return Conductor.
16. Operation of Sub- Stations.
17. Maintenance schedule of OHE and PSI equipments.
18. EIG of OHE & Sub-Stations.
19. Power Blocks and PTW.
20. TPC, Break down & their rectification and shutdown.
21. Different types of Sub-Station equipments.
22. Tariff and Metering of Traction Energy.
23. PCDOs & Action plans, Corporate Safety Plans.
24. Maintenance and Operation of Tower Wagons & other break down vehicles
25. Different types of bracket arrangements, Electrical clearances and Anti Creep Arrangements
26. ATD & FTA.
27. Regulation for Power Line Crossing.
28. Transverse and longitudinal protection.
29. Bonding and Earthing.
30. Electrification of different types of siding.
31. Systems of electrifications and transmission Lines for TSS.
32. Numbering of equipments & OHE Masts.
33. Different types of Insulators and Polluted Zones.
34. Procurement of stores and their accountal.
35. Electrical Accidents and fire.
36. Safety rules for OHE.
37. Organization structure.

A) COACHING :-

- 1- Types of Rolling Stock, PCV, OCV.
- 2- Design & Constructional features of coaches.
- 3- Types of Bogies, Wheel and Axle, Draw and Buffing Gears – their defects and examination.
- 4- Examination of Passenger trains: - Originating, Terminating and Passing through examination, Watering and Cleaning, DRS of coaching stock.
- 5- Maintenance in open line depots, Types of Maintenance Schedule and periodicity of POH. Maintenance History cards, Washing and Cleaning of Coaches.
- 6- Brakes system - Vacuum Brake System and Air Brake System and their trouble shootings.
- 7- High Speed Coaches, APD, Safety and Security Fittings.
- 8- Standard Facilities in C & W Depots.
- 9- Corrosion Repair and its prevention.
- 10- Causes of En-route detachment, Ineffective, Coach Failure Report etc.
- 11- Latest Modifications under RDSO and INDO- German Project.

B) Goods :-

- 1- Different Types of Wagon used on Indian Railway.
- 2- Design and constructional features of wagons.
- 3- Type of Bogies, Wheel and Axle, Draw and Buffing Gears their Defects, Examination and Repair, Suspension System.
- 4- Brake system :- Vacuum Brake System and Air Brake System and their Trouble Shooting.
- 5- Tank Wagons: - Mountings, Precaution during Loading and Unloading, Steam cleaning and Testing.
- 6- Inspection and Maintenance Schedules :- Rolling in Terminating, Originating, Intensive, Interchange Examinations, Repacking, ROH, NPOH, Making Stock, fit for Passenger Trains.
- 7- Periodicity of POH.

C) BEARING :-

Plain Bearing and Roller Bearing, Type of Bearing and their Maintenance. Types of Grease, Precautions in open line and workshop, Hot Box, Roller Bearing Failures.

D) ACCIDENT :-

Classification of Accident, Reporting of Accident, Composition of ART and ARME. Hooter Code, Defects of Rolling Stock, leading to Accident, Measurement of Coaches and Wagons involved in Accident. Duties of C & W Supervisor at the site of Accident.

E) IRCA Part III & IV